Title: Discussion regarding problems being faced by farmers in various parts of the country. (Not concluded).

16.03 hrs.

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up discussion under Rule 193 on problems being faced by farmers in various parts of the country. Shri Ram Nagina Mishra to raise a discussion regarding problems being faced by farmers in various parts of the country.

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : समापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए आपने सदन में आज्ञा दी है, उसके लिए धन्य वाद। मान्यवर, बहुत दिनों के बाद सदन में किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए अवसर मिला है। देश की आबादी का ७० प्रतिशत भाग किसान है। उनकी जो समस्याएं हैं उनपर राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन में विचार होगा, ऐसी अपेक्षा मैं अपने साथियों से रखता हूं।

मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं सदन और आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आज करोड़ों किसान और मजदूर हैं जिनका जीवन गन्ना और गन्ना फैक्ट्रियों पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में कपड़ा और जूट की मिलें थी, जिनकी हालत बहुत खराब हुई। एक चीनी उद्योग बचा हुआ था वह भी समाप्ति के कगार पर आ रहा है। देश में जितनी चीनी मिलें हैं उनमें से करीब आधी उत्तर प्रदेश में हैं। करीब १२०-१२५ चीनी मिलें वहां हैं लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। जो किसान गन्ना बोता है उसकी हालत सबसे खराब है। जो गन्ना सेल-परचेज रूल बना हुआ है उसमें नियम है कि अगर शुगर मिलें गन्ने का दाम १५ दिन तक न दें तो १५ रुपये प्रति सैंकड़ा के हिसाब से किसान का भुगतान करना पड़ेगा।

दूसरा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का केस है। किसान को शुगर फैक्टरी ने पेमेंट नहीं किया था। स्टेट ने आर.सी. जारी की थी। हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, तब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उसने फैसला किया कि गन्ना बोने वाले गन्ना किसानों का मूल्य फैक्टरी बेचकर १५ प्रतिशत ब्याज के साथ दिया जाए। उसके बाद जो धन बचे उसको मजदूरों को दिया जाए और उसके बाद बचे हुए धन को अन्य कर्जदारों को

दिया जाए। मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कानून में परिवर्तन करना होता है तो लॉ में परिवर्तन किया जाता है। यह बेचारा गन्ना किसान कानून के होते हुए भी मारा जा रहा है। हमें क्षोभ है कि बी.आई.एफ.आर. में कुछ जज रखे जाते हैं।

मैं नहीं समझता कि जजों ने कुछ उनके हक में फैसला दिया हो। उन्होंने मिल बंद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने किसानों के खिलाफ ही फैसला दिया। मैं मिसाल देना चाहता हूं। कानपुर शुगर मिल जो कपड़ा मंत्रालय के अधीन थी, रुग्ण फैक्ट्री घोषित कर दी गई। यह मामला बी.आई.एफ.आर. में गया। वहां तीन-चार साल तक रहा। उनका कमीशन बनता रहा। फैसला यह हुआ कि उसे एक आदमी को इस शर्त पर दे दिया गया कि ६ साल में जो १८ करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, जबकि मामला तीन साल ऐसे ही पड़ा है, वह ६ साल में ६ किश्तों में बिना सूद के रुपया देगा। वैसे ही तीन साल निकल गए, अब वह ६ साल में देगा, इस प्रकार नौ साल हो गए। बैंक का नियम है कि एक रुपया जमा करने पर पांच साल में वे दो रुपए हो जाते हैं। ऐसे में १८ करोड़ रुपए पांच साल में ३६ करोड़ रुपए हो जाते हैं और नौ साल में पता नहीं ५० करोड़ रुपए हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सूद सहित दिया जाए तो बी.आई.एफ.आर. के जजों को यह कहने का क्या अधिकार है कि १८ करोड़ रुपया बिना सूद के छः किश्तों में दिया जाए। क्या यह चीज किसानों पर ही लागू होगी? इस फैसले के बाद भी मिल चली नहीं। वह पिछले साल से बंद है। इस वक्त भी बंद है। किसानों का दाम भी नहीं मिला। बी.आई.एफ.आर. के जजों ने लिखा कि जो गन्ना कठकुइंया, पडरौना जोन का है, वह उसी को एलाट कर दिया जाए चाहे वह मिल चले या न चले। आज किसान मर रहा है और जेल जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मुझे इसका सही जवाब दें।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कई तरह की चीनी मिलें हैं। मैं चीनी निगम की मिलों की बात करना चाहता हूं। इसमें से ५ मिलें बाराबंकी, बरेली, महोली, नवाबगंज, नंदनगर की पहले से बंद है तथा छः मिलें रामपुर, मेरठ,हरदोई, मुंडेरवा, छितौनी, घुघली अब बंद हो गई - इस तरह चीनी निगम की ११ मिलें बंद हो गई। इनका करोड़ों रुपया बकाया है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि गत वर्ष गन्ना मंत्री ने बयान दिया था कि गन्ना मिलें बंद नहीं होंगी। गत वर्ष रामकोला, खेतान और घुघली मिल के पास पार्किंग ग्राउंड में गाड़ियां खड़ी थीं। आदेश हुआ कि मिल बंद कर दी जाए और गन्ना सीसवा मिल को बेच दिया जाए। सत्ता पक्ष में रहते हुए हमें इसके लिए लड़ना पड़ा। तब फैसला कैंसिल हुआ और मिल चली।

१६.०८ बजे (श्रीमती मार्गेट अल्वा पीठासीन हुई)

मंत्री का बयान आया कि मिल बंद नहीं होगी किन्तु छः मिलें फिर भी बंद कर दी गईं। हमारे क्षेत्र में नौ चीनी मिलें हैं। गोरखपुर कमिश्नरी में २० चीनी मिलें हैं। पडरौना कठकुइंया मिलें पहले से बंद है। छितौनी अब बंद हो गई।

इसी के साथ गन्ने के दाम के बारे में सुन लीजिए। १८ करोड़ रुपया पडरौना, कठकुइंया में बाकी है, २२ करोड़ रुपया सरदारनगर में बाकी है जो मेरे क्षेत्र का गन्ना है, १४ करोड़ रुपया कप्तानगंज में बाकी है, ५ करोड़ रुपया चीनी निगम में बाकी है - इस प्रकार ६० करोड़ रुपए से ऊपर बाकी हैं। अन्य प्रदेशों में अरबों रुपए बाकी हैं। वह उन्हें मिल नहीं रहे हैं। गन्ना किसान के जिम्मे अगर बैंक का बकाया होता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। अफसोस है कि गन्ना किसान सरकारी पैसा वापस न देने पर भी जेल जाता है और अपने गन्ने के दाम मांगने के लिए भी जेल जाता है। वह दोनों हालत में जेल जाता है। इस तरह कैसे चलेगा? उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। यह बात सही है कि यह आज की बीमारी नहीं है, यह कोढ़ बहुत पहले से है। आज जो भी सत्ता में बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे उस कोढ़ को दूर करें। १२ अरब रुपए के घाटे में चीनी निगम जा रहा है। हमें जहां तक मालूम है सैंट्रल गवर्नमैंट को भी इसमें एक्साइज टैक्स मिलता है। कोई शुगर फैक्ट्री ऐसी नहीं होगी जहां से उसे करोड़ों रुपया न मिलता हो।

स्टेट गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स मिलता है, सहकारी समितियों को टैक्स मिलता है। इस प्रकार सरकार को अरबों रुपया मिलता है। यदि ये चीनी मिलें बंद हो जायेंगी तो किसानों का क्या होगा? सीधा हिसाब है कि १२ अरब रुपया बकाया है और उन १२ अरब रुपए में से ४००० टन वाली चीनी मिलें बंद नहीं हैं। चीनी निगम भी बना हुआ है लेकिन उस पर अरबों रुपया बकाया है। अगर उत्तर प्रदेश में हर साल २-२ पुरानी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाई जाती तो यह नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश के लाखों मजदूरों और करोड़ों किसानों का जीवन गन्ने पर निर्भर है। वहां की जलवायु कैसी है? गन्ना किसान पैदा करता है और वह उसी से अपना जीवन यापन करता है, इसलिये चीनी मिलें बंद न की जायें बल्कि उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए जिससे चीनी उद्योग बंद न होने पायें और गन्ना बोने वाले किसान तथा काम करने वाले मजदूर भी जीवित रह सकें।

सभापति महोदय, यदि सारे देश के लिये एक राष्ट्रीय चीनी नीति नहीं बनेगी तो दिक्कत हो जायेगी। फिर हम विदेशों से चीनी मंगायेंगे और अरबों रुपया विदेशी मुद्रा में देंगे। अगर आप यहां के किसानों को सहूलियतें दे देंगे तो यहां ज्यादा चीनी पैदा होगी जिसे आप विदेशों में भी भेज सकेंगे। गन्ने का दाम नह मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती कम हो रही है। इसमें किसानों की क्या खता है? वे लोग किस दरबार में अपनी फरियाद लेकर जायें? किसानों की यह साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। एक तरफ तो गन्ने का दाम बढ़ाते जाइये और दूसरी तरफ चीनी का दाम बराबर रखिये - यह कैसे चलेगा? यह नीति ठीक नहीं है। सरकार ४० प्रतिशत चीनी अपने कंट्रोल में रखती है और ६० प्रतिशत फ्री सेल में बेचती है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं और हमारे साथी बता सकते हैं कि गांव में लोगों को राशन की चीनी मिलती है, उसमें दुकानदार इंस्पैक्टर को कितनी घूस देता है। इतना ही नहीं, जो किसान चीनी पैदा करता है, उसे ५ किलो चीनी भी रिटेल प्र ाइस में नहीं मिलती। चीनी हम पैदा करें और शहर के लोग सस्ते दर पर खायें, गन्ना हम बोयें, चीनी का दाम न मिले - यह कहां की नीति है? इस नीति में परिवर्तन करना चाहिये। ठकृतः प्रयत्नाः कार्यम् न सिद्धम्, न भैदग्कृत्र दोषाः'' - अर्थात प्रयत्न करने पर कार्य सिद्ध न हो, तब हम सोचे कि दोष कहां है?

इस संबंध में एक कमीशन भी बना था जिसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। आज चीनी मिलों की हालत खराब क्यों है? यदि सरकार एक लाख बोरे में से ४० हजार बोरे लेवी में ले और साल भर वह चीनी पड़ी रहे - उस पर बैंक को ब्याज देना पड़ता है या नहीं? क्यों नहीं सरकार ४० हजार बोरे का दाम अदा कर देती? आज मिलें बरबाद हो गई हैं, बरबाद हो जायेंगी। भगवान भी ८०० या १००० टन क्षमता वाली चीनी मिलों में प्राफिट नहीं दे सकता। आज के वैज्ञानिक युग में ३ से ४ हजार टन क्षमता वाली चीनी मिलों में प्राफिट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने की पुरानी ८००-९०० टन चीनी पैदा करने वाली चीनी मिले हैं जो प्राफिट नहीं दे सकती। आखिरकार वे निजी क्षेत्र में दे रहे हैं।

अपने यहां मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां स्पर्धा है। सरकारी क्षेत्र में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों में चीनी मिलें हैं। दोनों में स्पर्धा है। इस स्पर्धा में सरकारी चीनी मिलें फेल हो गईं क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गई। ३५ चीनी मिलों में से १४ की कैपेसिटी बढ़ाई गई है, वह प्र

ॉफिट में हैं। १२ अरब रुपया सरकार को अपने खजाने से देना पड़ेगा और इतना ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि कोई प्रपोज़ल भी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नहीं आया होगा कि इतना रुपया हमें चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए चाहिए। मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि समूचे देश के लिए जो चीनी निधि है जिसमें अरबों रुपया जमा है, उसमें से हमारे पूर्वांचल के लिए चीनी विकास निधि से कितना रुपया मिला है? जो २० चीनी मिलें हैं, उसमें किसका विकास हुआ है? मैं समझता हूं कि काफी दिन पहले भटनी, बैतारपुर, पिपराई और लक्ष्मीगंज, चार चीनी मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने का आदेश हुआ था किन्तु उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्या दिक्कत है? आखिर चीनी उद्योग रहेगा या नहीं रहेगा? इस पर एक राष्ट्रीय चीनी नीति बनानी पड़ेगी। जो चीनी बनती है, उसके गन्ने का दाम तो बढ़ना चाहिए, वह बात बिल्कुल सही है। हरियाणा ११० रुपया देगा तो उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन क्यों नहीं करेगा? हरियाणा की चीनी अगर ११० रुपया में प्रॉफिट या घाटा दे सकती है तो वह जानें, और यहां ८५ रुपया दाम है तो ठीक है। जिनकी ४०० या ३५० टन की कैपेसिटी है, वह तो दे देंगी, मगर १००० टन से कम कैपेसिटी वाली मिलों का क्या होगा। हमें याद है, कुछ दिन पहले ८००-१००० टन की कैपेसिटी वाली चीनी मिलें थीं, उनको सरकार ने २५-३० लाख रुपये छूट दे दी थी। वह छूट समाप्त कर दी गई। अब दो ही उपाय हैं। या तो इनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, नहीं तो अपने ट्रक्स को छोड़िये। मिलें बंद मत कीजिए। हमें आश्चर्य हो रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं। संयोग से जब से मैं आया, चाहे सत्ता में रहा तो भी जेल गया, विपक्ष में रहा तो भी जेल गया। दो बार तो मैं किसानों के लिए ही जेल गया कांग्रेस के राज में और अपने राजों में भी गया। हमेशा गन्ना किसानों के लिए मुझे जेल जाना पड़ रहा है। क्या खता की थी हमने? आश्चर्य है! जो बकाया है, अगर बैंक का बकाया है, सिंचाई विभाग का बकाया है, टैक्स बकाया है। ज्यादा बकाया है तो कहते हैं कि पर्ची ले लीजिए। पर्ची का हम क्या करेंगे? आप सौ करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं और १० अरब रुपया माफ कर सकते हैं और हमारे गन्ने का दाम भी नहीं दे सकते हैं? हम दया की भीख नहीं मांगते। हम तो अपनी मज़दूरी मांग रहे हैं। जो माल दिया है, उसका दाम मांग रहे हैं। कानूनी हक है हमको लेने का। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जवाब देते समय यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ओवररूल करने वाले बी.आई.एफ.आर. के जन कौन होते हैं? किस आधार पर उन्होंने ओवररूल किया? केन्द्रीय प्रोजेक्टस की क्यों अवहेलना की गई? अगर हमारे यहां अरबों रुपया गन्ने का दाम बकाया है तो नियम से १५ प्रतिशत ब्याज के साथ वह दाम किसानों को मिलना चाहिए, यह मैं मांग कर रहा हूं। दूसरी मांग यह भी कर रहा हूं कि छः महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बयान दिया है कि चीनी मिलें बंद नहीं होंगी तो आज कौन सी मुसीबत आ गई कि चीनी मिलें बंद हो गईं। ये मिलें बंद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप पहले चला रहे थे, आपको मिलें चलानी चाहिए और भविष्य में राज्य सरकार को मदद देकर उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर चलाए और प्राइवेट में नहीं लेना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

यह मेरा आपसे निवेदन है। ये आज की मिलें नहीं हैं। आज हमें कुछ दे नहीं रहे हैं जो हमें पहले से मिला है, वह भी छीन रहे हैं। अभी-अभी जो छः मिलें बंद हुई हैं, अभी मैं उनके बारे में बता रहा था, वे मिले हैं - मेरठ, रामपुर, हरदोई, मुंडेरवा, छितौनी और घुगली। ये छः मिलें अभी बंद हुई हैं और पांच पहले बंद हो चुकी हैं। कानपुर शुगर वर्क्स वाला बी.आई.एफ.आर. के जनों ने मेहरबानी करके जिसको दिया है उसमें पडरौना, कठकुनिया और गौरीबाजार मिलें बंद हैं यानी कि १४ मिलें बंद हो गई हैं। मंत्री जी आप बताइये कि आप होते तो वहां के किसानों को क्या जवाब देते। वहां कौन जवाब देगा कि इतनी मिलें कैसे बंद हो गई

... (व्यवधान)
आप मुझे उधर आने के लिए कह रहे हैं। मैं जब कांग्रेस में था तो तीन इश्यूज पर बोलता था - धारा ३७० समाप्त करो, समान नागरिक कोड बिल बनाओ और अयोध्या राम जन्मभूमि हिंदुओं को समर्पित करो। आज भी वही बोलता हूं, मैं अभी भी अपनी जगह पर हूं और कहीं नहीं हूं। यह आप जान लो और हमारे दोस्तों से पूछ लो जो मौजूद हैं। मैं उस समय भी यहीं बोलता था और आज भी यहीं बोल रहा हूं

... (व्यवधान)
आप सुन लीजिए, मुझे छेड़िये मत। मैंने पहले निवेदन किया कि राजनीति से ऊपर उठकर गन्ना किसानों के बारे में सोचिये। इसमें राजनीति मत कीजिए। छेड़ेंगे तो मैं कहूंगा, कोई मेरा कोर दबा हुआ नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि चीनी के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। इसमें एकरूपता आनी चाहिए, यदि एकरूपता नहीं आयेगी तो दिक्कत होने लगेगी। मैं आपसे पुनः निवदेन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से कपड़ा और जूट की मिलें चली गई हैं और अब चीनी मिलें भी जा रही हैं। यदि चीनी मिलें भी चली गई तो बिहार और उत्तर प्रदेश पहले से ही कंगाल हैं, ये प्रदेश और भी कंगाल हो जायेंगे। यही हालत बिहार की है। वहां भी मिलें बंद हो रही हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक राष्ट्रीय

नीति बननी चाहिए और इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। उत्तर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश से जूट और कपड़े की मिलें चली गई हैं, कम से कम यहां चीनी उद्योग तो बचा रहे।

सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन यह कहूंगा कि बहुत पहले मैं कांग्रेस में था। मैं उसी समय से कहा करता था कि किसानों के दाम का पेमेंट बैंक के द्वारा कराओ। किंतु यह नहीं कहता था कि बैंक द्वारा पेमेंट कराओ तो जैसे बूचड़ी में बकरा रेतते हैं, उस तरह से किसानों को मत रेतो। लेकिन क्या हो रहा है, बैंक के माध्यम से पेमेंट की बात हो रही है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। बड़े काश्तकार बड़ी मेहनत के बाद अपने खाते खुलवा पाये। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कुशीनगर जनपद है, वहां दो लाख २४ हजार बड़े काश्तकार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंतर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े किसान है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे किसान हैं। एक जिले में दो लाख २४ हजार काश्तकार हैं। जिनमें एक लाख २४ हजार छोटे काश्तकार हैं। वहां बैंक वाले इतना तंग करते हैं कि किसान रोकर जाते हैं।

सभापति महोदय : आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति महोदय, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, कोई गप नहीं मार रहा हूं। मैं उनके दुख-दर्द के बारे में बोल रहा हूं। बड़े काश्तकार को बड़ी मेहनत के बाद बैंक वालों ने कहा कि पांच सौ रुपये लेंगे। बड़ी मेहनत के बाद, कई महीने दौड़ने के बाद बड़े काश्तकारों के खाते खुल गये। किंतु जो किसान १००-२०० क्विंटल गन्ना बोते हैं, वे आज भी रो रहे हैं। उनके खाते अभी नहीं खुले हैं। ५६ हजार ऐसे काश्तकार हैं, जिनके खाते अभी तक नहीं खुले हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि ३०-४० रुपये के रेट पर छोटा किसान गन्ना कोल्हू पर ले जा रहा है। इसके पहले तत्कालीन मुख्य मंत्री जी वहां गये, उनका घेराव किया गया। उन्होंने वायदा किया कि दो सौ क्विंटल तक के जो छोटे किसान हैं, उन्हें मिल द्वारा डायरेक्ट बेयरर चेक से पेमेंट किया जायेगा।

सभापति महोदया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंत्री जी, आप पता लगाइए, आज किसान रो रहा है, मर रहा है। इसलिए कम से कम १००-२०० क्विंटल तक जो छोटा किसान गन्ना पैदा करता है उसका पेमेंट मिल द्वारा बेयरर चैक बैंक के माध्यम से करा दीजिए। इस बारे में मंत्री जी ने भी घोषणा की थी और मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा की थी।

सभापति महोदय : अब, आप समाप्त करिए। बहुत स्पीकर हैं और समय सिर्फ दो घंटे का है।

श्री राम नगीना मिश्र : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन भी करूंगा कि आप इस बात का पूरा परीक्षण करा लीजिए कि बी.एफ.आई.आर. में फैक्ट्री देने से भी कोई फायदा नहीं हुआ है। जो मिलें इसमें गई हैं, उसकी कारगुजारियां देखें, उससे कोई फायदा नहीं है और जो सिफारिशें बी.एफ.आई. आर. ने कीं, क्या सरकार ने उनको मान लिया है? मुझे मालूम है इस बारे में कुछ भी नहीं हुआ है और पडरौना, कटकुइयां, गौरीगंज बाजार और मुडेरवा मिलें बन्द हैं, जस की तस पड़ी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनको बी.आई.एफ.आर. ने इस शर्त पर दिया है कि फैक्ट्री चलाओ और गन्ना किसानों का पैसा छः किस्तों में दे दे, तो क्या इसका पालन हुआ है? यदि नहीं हुआ है, तो क्या उसको कैंसिल कर के किसी दूसरे को देंगे? पडरौना की चीनी मिल तो ऐसी है, जिसको कोई भी चला सकता है। दूसरी फैक्ट्रियां जब घाटे में चलती थीं तो प्रडरौना और कठकुइयां की मिल से उस घाटे की पूर्ति होती थी। इसलिए पडरौना और कठकुइयां की मिल तो ऐसी है जिसे कोई भी चला सकता है।

महोदया, मैं एक और बात यह कहना चाहता हूं कि गन्ने के किसानों का मिल पर जितना बकाया है, उसकी पर्चियों को पहले पांच रुपए प्रति सैकड़ा पर गिरवी रखा जाता था, लेकिन अब नहीं रख रहे हैं। मैं आपसे यह मांग कर रहा हूं कि जितने गन्ना किसान हैं, जिनके दाम नहीं मिले हैं, उनकी पर्चियों को बैंकों में गिरवी रखकर उन्हें पैसा दिलाया जाए और जब मिल से उनका भुगतान हो, तो वे बैंक को पेमेंट कर दें, ऐसी व्यवस्था तुरन्त करने की जरूरत है।

सभापति महोदय : मिश्र जी, आधा घंटा हो गया है अब कृपया आप समाप्त करें और मैम्बर भी बोलने वाले हैं।

श्री राम नगीना मिश्रः सभापति महोदया, आधा घंटा हो गया, तो कौन सी बड़ी बात है। किसान आज मर रहा है। उसके गन्ने का बकाया मिलों से नहीं मिल रहा है वह आन्दोलन कर रहा है, जेलों में जा रहा है। मैं उसकी पीड़ा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। मेरा एक और निवेदन है कि इस बारे में पहले जितनी भी समितियां बनी हैं उनका अध्ययन होना चाहिए। मेरा निजी विचार यह है, भले ही औरों का विचार यह हो या न हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीनी को फ्री कर दीजिए। उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। केन्द्रीय सरकार अपने खर्च के लिए जितनी चीनी की आवश्यकता हो वह ले ले और बाकी चीनी को कंट्रोल से मुक्त कर दीजिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि चीनी हम पैदा करें और बड़े-बड़े लोग खाएं। हमें अपने उत्पादन का दाम भी न मिले और उनके गोदाम भर जाएं और नोटों से तिजोरियां भरी

रहें। यदि गन्ने का दाम बढ़ता है, तो चीनी का भी दाम बढ़ना चाहिए। ऐसा न हो कि गन्ने का दाम बढ़ता रहे और चीनी का दाम घटता रहे। यदि ऐसा होगा, तो मिलें नहीं चलेंगी। जब गन्ने का दाम बढ़ रहा है तो चीनी का दाम भी बढ़ाइए और राशन की चीनी वाला झंझट समाप्त करिए जिससे सस्ती चीनी मार्केट में उपलब्ध हो और आम उपभोक्ता को सस्ती चीनी मिल सके।

सभापति महोदय : प्लीज खत्म करिएगा।

श्री राम नगीना मिश्रः सभापति महोदया, अगर चीनी के ऊपर से कंट्रोल हटा देंगे और चीनी का उत्पादन ठीक प्रकार से कराएंगे, तो हम विदेशों को चीनी भेजने की स्थिति में आ जाएंगे। आपको बाहर से चीनी मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये।

... (व्यवधान)

आपके सभी प्वाइंट हो गये हैं इसलिए अब आप समाप्त करिये।

... (व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : अभी किसानों के बारे में मुझे थोड़ा और बोलना है।

सभापति महोदय : आप उसे छोड़ दीजिए।

... (व्यवधान)
बाकी मैम्बर्स भी तो कुछ बोलेंगे।

श्री राम नगीना मिश्र : मुझे किसानों के बारे में भी कहना है कि किसानों को सबसिडी मिलती है। सभी भाई जानते होंगे कि किसानों को ३००० रुपये सबसिडी पंपिंग सैट हेतु मिलती है जिसे सब आफिसर खा जाते हैं। इसी तरह हमारे अफसर कैसे हैं, वे भी सुन लीजिए। जो पम्पिंग सेट बाजार में नकद दाम देने पर ७००० रुपये में मिलता है, वही सेट ब्लाक के माध्यम से १०,००० रुपये का बना दिया जाता है। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि सरकार जो रुपया देती है, वह किसानों तक पहुंचता है या नहीं। इसी तरह छोटे किसानों को इंदिरा आवास मिलता है। आप पता कर लीजिए, आपको पता है या नहीं लेकिन मुझे पता है कि जब तक बी.डी.ओ. उनसे तीन या चार हजार रुपये नहीं ले लेता है तब तक उनको इंदिरा आवास नहीं देता। इस स्थिति में देश का क्या होगा? ... (व्यवधान) किसानों के नाम रुपया जा रहा है जबकि उसे अफसर लूट रहे हैं। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गेहूं और धान देने के लिए जो सरकारी दुकानें हैं, अगर वहां बनिया अपना माल ले जाता है तो खरीद लेते हैं लेकिन किसान ले जाता है तो झरने से गेहूं झरवाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बनियों द्वारा न खरीदकर डायरेक्ट किसानों से गेहूं या धान खरीदना चाहिए। मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन आप बार-बार घंटी बजा रही हैं इसलिए अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

हम तो मजबूर हैं,

दो मालिक हैं, दो ईश्वर हैं, दो रक्षक हैं इस दुनिया के।

एक है, किसानों और मजदूरों के और एक हैं बिरला, डालमिया के,

नगर बीच में खड़ी ये नगर सेठ की लाल नवेली

वहीं पड़ी ये बिना कफन की लाश अकेली

यह न्याय नहीं मेरे प्रभु, यह निष्पक्ष विधान नहीं

नगर सेठ का भाग्य विधाता, तू मेरा भगवान नहीं

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदया, मुझे भी इस पर चर्चा शुरू करनी है ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : हम आपको बोलने के लिए मौका दे देंगे लेकिन पहले आप इन्हें बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ मेरा नाम एजेंडा में दूसरे नम्बर पर है और मैंने इसकी शुरुआत करनी है इसलिए आप पहले मुझे बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसी क्या बात है?

">

श्री राजेश पायलट (दौसा) : नियम १९३ में ऐसा ही होता है। एक उधर से बोलता है तो एक इधर से बोलता है।

... (व्यवधान)
">

">योगी आदित्यनाथ : मैंने भी राम नगीना जी के साथ नोटिस दिया है।

... (व्यवधान)
">

">सभापति महोदय : आपको भी बोलने का चांस मिलेगा।

... (व्यवधान)
ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)
">

">योगी आदित्यनाथ : हम उनके बाद क्यों बोलेंगे?

... (व्यवधान)
हम तो चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं।

... (व्यवधान)
">

">सभापति महोदय : ऐसा नहीं होता है। एक आपकी तरफ से मैम्बर बोलेगा और एक मैम्बर आपोंजिशन की तरफ से बोलेगा।

... (व्यवधान)
उसके बाद आपका नम्बर आयेगा। ... आप बैठिये।

... (व्यवधान)
नियम १९३ में ऐसा ही होता है। (व्यवधान) आपको चांस मिलेगा, आप बैठिये।">

">योगी आदित्यनाथ : इसमें चांस वाली बात नहीं है। हमें चर्चा की शुरुआत करनी है।

... (व्यवधान)
">

">सभापति महोदय : ऐसा नहीं होता है।

">

">योगी आदित्यनाथ : अभी उत्तर प्रदेश की समस्या पर विचार हो रहा है इसके लिए हम पहले नोटिस दे चुके हैं। हम कब बोलेंगे।

... (व्यवधान)
मेरी नोटिस राम नगीना मिश्र के साथ गयी है इसलिए मुझे पहले बोलने की ऑफर मिलनी चाहिए क्योंकि चर्चा की शुरुआत हम दोनों को करनी है, न कि पायलट जी को करनी है।

... (व्यवधान)
">

">SHRI RAJESH PILOT : Madam, it is very surprising. Ministers are sitting in the House and they cannot control one of their colleagues.... (Interruptions)

">SHRI PRAKASH MANI TRIPATHI (DEORIA): The proposer and the seconder speak first and then the discussion starts under Rule 193.

">सभापति महोदय : आप बैठिये।

">

">

... (व्यवधान)
">

">

">सभापति महोदय : हाउस के जो भी रुल्स हैं, हमें उसको भी देखना पड़ेगा। आप बैठ जाइए।

">

">

... (व्यवधान)
">

">

">श्री राजेश पायलट (दौसा) : नियम १९३ में ऐसा ही होता है कि एक मैम्बर उधर से बोलता है और एक इधर से बोलता है।

... (व्यवधान)
">

">सभापति जी, आज बहस की शुरुआत श्री राम नगीना मिश्र जी ने की और बहुत अच्छी बात कही कि पार्टियों से उपर उठकर बात की जाये। मैं पार्लियामैंट में १९५२ और १९५७ के भाषण पढ़ रहा था। जब गांव और किसानों की बात हुआ करती थी उस वक्त यही भावना दिखाई देती थी इसलिए यह सैक्टर बड़ी तरक्की की तरफ बढ़ा। लेकिन दुःख की बात है कि आज यह सैक्टर राजनीति का वोट बैंक हो गया है। मैं एन.डी.ए. का मैनिफेस्टो पढ़ रहा था। उसमें जो भाषण दिये हैं और आज जो राम नगीना मिश्र जी कह रहे थे, मुझे खुशी होती कि आप बी.जे.पी. की मीटिंग में इन बातों को कहते। आज हमें एक साल हो गया है,

">

">अगर कहते थे तो आप सुनो आपकी सरकार ने क्या किया। अगर कहते थे और कहते हो तो सुनो क्या हुआ। यह बात सही है जब १९५२ में पहला बजट इस क्षेत्र के लिए दिया गया था तो १५ प्रतिशत एलोकेशन खेती और गांवों के लिए की गई थी और नेहरू जी वहां से बोले थे। उन्होंने यह कहा था कि १५ प्रतिशत देने में बहुत भार पड़ रहा है लेकिन गांव में देश की आत्मा है इसलिए १५ प्रतिशत भी कम है, इससे ज्यादा देना चाहिए, यह भावना थी।

">... (व्यवधान)
">१९९८-९९ की फीगर्स हम देखें तो पता चलेगा कि आज हम १३ प्रतिशत पर आ गए हैं।

">... (व्यवधान)
">मैं राव जी के जमाने का पढ़ कर सुना रहा हूं। जब हमारी सरकार थी तो उस समय एक लाख ८० हजार इस क्षेत्र के लिए दिए गए थे, जो सबसे ज्यादा थे। जब १९९१ से १९९६ तक राव जी की सरकार थी तो ८०,७७२, १९९२ में और एक लाख एक हजार बीस १९९३-९४ में दिए गए थे।

">... (व्यवधान)
">मैं आपसे कह रहा हूं कि १९५२ से अब तक कमी आई है लेकिन कांग्रेस के राज में फिर भी थोड़ा-बहुत रहम रहा। ... (व्यवधान)">

">श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं अंडेमान-निकोबार से आया हूं,

... (व्यवधान)
मैंने केवल पांच प्रतिशत देने के लिए कहा था।

... (व्यवधान)
">

">श्री राजेश पायलट (दौसा) : मैं सारे देश की फीगर दे रहा हूं।

... (व्यवधान)
">

">श्री विष्णु पद राय : आप यह बताएं कि राव जी के जमाने में कितने प्रतिशत दिया।

... (व्यवधान)
">

">श्री राजेश पायलट : मैं तो सारे देश की फीगर्स बता रहा हूं। जब एनडीए की सरकार बनी थी। पहले तो इनके मन में था कि कृषि क्षेत्र को ज्यादा इम्पोरटेंस नहीं है इसलिए १३ महीने तक देश में कृषि मंत्री नहीं रहा। आज पहली बार कृषि मंत्री इस सरकार में बने हैं, शुरु में भी कृषि मंत्री नहीं बना था। जब ओथ ली तो कृषि मंत्री नहीं बना था। एक जमाना था जब कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग सरकार की प्रायरटी हुआ करती थी। इसे आप इस ऐंगल से मत देखो कि मैं कांग्रेस से बोल रहा हूं और आप बी.जे.पी. में बैठे हो। मैं नीति की बात कर रहा हूं। पहले यह था कि इन तीन क्षेत्रों में कौन से विद्वान लोग जाएं, जिनकी नीयत और नीति इस क्षेत्र के लिए हो वे जाएं। इन तीनों विभागों के लिए लोग मांग करते थे। इन तीनों में से भी यह था कि कृषि विभाग सबसे पहले मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग के लिए लोग मांग करते थे लेकिन आज दुख की बात है कि नीतीश जी अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री बने हैं, १३ महीने तक कोई कृषि मंत्री नहीं था। ... (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी तो सारे विभागों के इन्चार्ज हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है।

">... (व्यवधान)
">इन्होंने अपने एनडीए के मेनिफेस्टो में कहा कि हम ६० प्रतिशत एलोकेशन कृषि और रूरल डेवलपमेंट के लिए देंगे। मैं इनके बजट के दो उदाहरण दे रहा हूं- १९९८-९९ में आपने कृषि में एक हजार छः करोड़ रुपए दिए, रिवाइज़्ड एस्टीमेट ९६० करोड़ है। १९९९-२००० के बजट में १२११ करोड़ रुपए दिए, आपने २०५ करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की, यह ६० प्रतिशत है। एनीमल हस्बेंड्री के लिए आपने कहा कि हमारी सरकार गांवों में ग्रामीण डेरी को बढ़ोत्तरी देना चाहती है। १९९८-९९ में ४५३ करोड़ रुपए आपकी एलोकेशन थी और रिवाइज़्ड एस्टीमेट २८६ करोड़ था। इस बार आपने बजट में ४२७ करोड़ रुपए दिए। मैं आपके सामने सच्चाई रख रहा हूं और इसलिए रख रहा हूं कि अगर आप इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देंगे तो ग्रामीण क्षेत्र और किसान पीछे रह जाएंगे, तब देश आगे नहीं जा सकता। रामनगीना जी ने ठीक कहा कि ७० प्रतिशत पापुलेशन हमारे देश की गांवों में रहती है और देश का विकास उन पर निर्भर है। अगर ये ७० प्रतिशत उठेंगे तो तभी देश उठेगा, दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता से देश नहीं उठेगा। जब तक यह भावना हम सब में नहीं आएगी तब तक देश नहीं उठ सकता। मैं दुख के साथ पार्लियामेंट की बहस में भी कह रहा हूं। आप १९५७ और १९६७ की बहस पढ़ो, हर चीज में गांवों का नाम आया करता था।">

">मेरे सब साथी बैठे हैं। पहले हर बहस में गांव का जिक्र किया जाता था। ट्रेड पर बहस होती थी लेकिन गांव का जिक्र हुआ करता था। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें गांव के लिए क्या होने वाला है। मैं नहीं कहता कि हमारे राज में खामियां नहीं रही होंगी लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें इस क्षेत्र पर ध्यान देना जरूरी है, गांव की तरफ नजर करना जरूरी है। जैसा माननीय राम नगीना मिश्र जी ने कहा कि हमें इस पर पार्टी से ऊपर उठकर विचार करना होगा। हमें कुछ सच्चाई तो सामने रखनी ही होगी। अगर सच्चाई सामने नहीं रखेंगे तो आप एक्शन नहीं ले पायेंगे। हम उन बातों को नहीं रखेंगे तो हम भी अपना फर्ज पूरा नहीं कर पायेंगे। इसीलिए मैंने ये आंकड़े आपके सामने रखे हैं। अगर आपने कहा है तो इन्हें पूरा करने की कोशिश करो।

">

">गरीबी दूर करने के लिए आपने अपने मैनिफैस्टो में जो कहा है उसका एलोकेशन मैं आपको बता रहा हूं। आपने अपने बजट में १९९८-१९९९ में ७२८३ करोड़ रुपया दिया

है और रिवाइन्ड ऐस्टीमेट ६९३३ करोड़ का है। इसी तरह वर्ष १९९९-२००० के बजट में ६९०२ करोड़ है। इस तरह १९९८-९९ के बजट से ३८१ करोड़ कम है। यह आंकड़े मैं बाहर से नहीं दे रहा हूं, लाइब्रेरी से लेकर आया हूं। इनको आप देख लें। अगर ये ६० प्रतिशत के दायरे में आते हैं तो ठीक है अन्यथा आपके कैलकूलेशन में गलती है।

">

">मैडम, मैं तीन चीजों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसान की क्या तकलीफें हैं। फसल, उसकी जमीन और विकास। उसकी फसल अच्छी होती है तो उसका विकास अपने आप हो जाता है। जब प्लानिंग कमीशन में फसल का फार्मूला तय हुआ था उस समय हम सरकार में थे। हमने उसको सुधारने की कोशिश की थी। मेरा अनुभव यह है कि गांव की भावना प्लानिंग कमीशन में आते-आते नहीं रहती है जोकि रहनी चाहिए। जब फार्मूला कैलकूलेट हुआ तो किसान के परिवार का उसमें हिसाब नहीं रखा गया। अगर एक किसान के १२ आदमी खेती में काम करते हैं, उसका बेटा, बेटी, बहू, तो उनकी मेहनत का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। एक फार्मूला बना है जिससे सुपोर्ट-प्राइस और कोस्ट-प्राइस निकाल ली जाती है। किसान का सारा परिवार जो खेती में लगा रहता है उसकी लेबर-कोस्ट प्लानिंग कमीशन रखने को तैयार नहीं है। इसीलिए सुपोर्ट प्राइस उतनी नहीं आ पाती जितनी की आनी चाहिए। जब डीजल के भाव बढ़ाये गये तो हमने शोर क्यों मचाया था? हमने कहा था कि डीजल के भाव बढ़ा रहे हो तो सुपोर्ट प्राइस आज ही इतना घोषित कर दो कि किसान पर बोझ न पड़े। आज तक सुपोर्ट प्राइस गेहूं की घोषित

">

">नहीं हो पाई है। गन्ने की भी दो दिन पहले हुई है। मिल मालिकों का बयान आप देखिये। उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमतें बढ़ती रहेंगी और इस तरह से तो हमें मिलें बंद करनी पड़ेंगी। एक एक्सपर्ट सैनगुप्ता ने कहा है कि

">

">"The rate at which agriculture is growing is lower than the rate at which the population is growing."

">अगर हमने कृषि को बढ़ावा नहीं दिया तो हम उसी बात पर फिर आ जायेंगे जब हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ा था। हमें याद है पी.एल-४८० का १६ रुपये मन का आटा आया करता था। किसी रिश्तेदार के घर जाते थे और लाल आटे की रोटी खाने को मिलती थी तो हम समझ जाते थे कि इसके घर अनाज पूरा नहीं हुआ है। उस तरह से हमने दो-ढाई साल तक गुजारा किया। उसके बाद हमारे किसान ने मेहनत की और आपको आत्म-निर्भर बना दिया। लेकिन आपने किसान के लिए क्या किया है। क्या आपने किसान की सुपोर्ट प्राइस बढाई? मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। किसान को गन्ने की जो पर्ची मिलती है दो साल तक उसकी पेमेंट नहीं होती है। उससे वह अपनी लड़की के हाथ पीले करता है। पर्ची को वह बैंक में जमा करता है, उस पर कर्जा लेता है और ब्याज देता है और उस पैसे से वह अपना काम चलाता है।

">

श्री राम नगीना मिश्र : पर्ची वह बैंक में नहीं रखता है, बनिये के घर रखता है और पांच रुपया सैकड़ा का ब्याज देता है। बैंक पर्ची लेता नहीं है। हमारी मांग है कि पर्ची को बैंक ले।

श्री राजेश पायलट : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद पहले बैंक ले लिया करते थे, अब उन्होंने भी लेना बंद कर दिया होगा। यह मेरे लिए भी एक नयी खबर है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी बजट पर बोल रहे थे। मैंने क्रैडिट पॉलिसी की बात की थी। हम जब सरकार में थे तब हमने इसकी कोशिश की थी लेकिन हम इसे नहीं कर पाये।

हम जो नहीं कर पाए, उसे तो मानेंगे। लेकिन जो सुधार हो सकते हैं, उसमें हम कोशिश करते रहे। इन्होंने क्रैडिट कार्ड चलाया। उस दिन बहुत खुश होकर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि ६ लाख किसानों को क्रैडिट कार्ड मिल गया है। दुख की बात यह है कि जहां ७० परसैंट ऐसे लोगों की पापुलेशन हो, वहां ६ लाख क्रैडिट कार्ड देने पर सरकार खुश होती है। कहीं थोड़ा एप्रोच में फर्क है। क्रैडिट कार्ड क्या है? वह उस पर खाद ले सकते हैं, उस पर बीज ले सकते हैं, उस पर थोड़ा बहुत ट्रैक्टर का सामान ले सकते हैं। हमने एक दूसरी मांग की थी। हमने कहा था कि जब तक किसान की आर्थिक हालत नहीं सुधरेगी, किसान ऊपर नहीं उठ पाएगा। राम नगीना जी कह रहे थे कि आज इंडस्ट्रियल हाउसेज को बैंक की लिमिट दी जाती है। अगर किसी का १०० करोड़ रुपए का बिजनेस है तो उसे ८० करोड़ रुपए की बैंक लिमिट दी जाती है। हमने मांग की थी कि अगर २०-२५ बीघे का किसान है, उसकी जमीन की कीमत २५ लाख रुपए है तो उसे २ लाख रुपए की लिमिट दे दो। वह दो लाख जब मर्जी ले और जब मर्जी दे। ऐसे में उसमें हिम्मत आ जाएगी। अगर जेब में पैसे हों, आप सारे बाजार में चले जाओ, कभी भूख नहीं लगेगी। खाली जेब होने पर घर बैठे भूख लगती है और वह सोचता है कि दोपहर में क्या होगा? आर्थिक हिम्मत आर्थिक हालत से मजबूत होती है। सरकार ने किसान को क्रैडिट कार्ड तो दिया लेकिन अच्छी नीयत नहीं दिखाई। मैंने पहले भी अपने भाषण में कहा था कि क्रैडिट कार्ड का किसान को उस समय फायदा होगा जब उसे उस लिमिट का फायदा होगा। आज किसान का बालक नौकरी के लिए १० जगह जाता है। अगर उसके लिए भी लिमिट बन जाए तो वह भी सरसों का छोटा सा कारखाना लगा सकता है। परिवार मिल कर इसे लगा सकते हैं। ऐसे में वह सरसों नहीं बेचेगा, सरसों में से तेल निकाल कर बेचेगा। वह खल अलग बेचेगा और तेल का भी पाउडर बनेगा तो वह पाउडर बना कर बेचेगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आपने जो पालिसी बनायी, उसका किसानों को जो फायदा होना चाहिए था, नहीं हुआ।

यहां प्रक्योरमैंट प्राइस की बात हुई। जब वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, तब हमने इस बात को यहां उठाया था। धान की सपोर्ट प्राइस घोषित हुई। यह बात सच है कि कहीं कांटे नहीं लगे क्योंकि आढ़तियों से मिलीभगत थी। उनसे कहा गया कि कांटे मत लगाओ, मजबूरी में किसान नहीं देगा। जिस पर कर्जा होता है, उसे जैसे सुविधा होती है, वैसे वह आढ़तियों और बनियों को देता है। मैंने इस बारे में उत्तर प्रदेश में १० जगह फोन किए। मैं जब शाहजहांपुर गया तो मैंने कमिश्नर को फोन किया। उसने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर में कोई कांटे नहीं लगाए। जब मैंने बहुत शोर मचाया तो जहां मेरा गांव है, वहां कांटा लगा दिया बाकी जगह कांटा नहीं लगाया। यहां मैं कहना चाहता हूं कि नीति और नीयत का फर्क है। जिस दिन नीति और नीयत एक हो जाएगी, उस दिन देश में किसानों का विकास अपने आप हो जाएगा। नीतियां बनती हैं। राम नगीना जी ने ठीक कहा कि नीतियों में बहुत विकास हो रहा है लेकिन वह जमीन पर लागू नहीं हो रहा है। राजीव गांधी जी ने ठीक कहा था कि एक रुपए में १५ पैसे गांव में पहुंचते हैं। उन्होंने सच्चाई सामने रखी। इसलिए वह पंचायती राज लेकर आए थे जिससे गांव में पूरा पैसा पहुंच जाए। मेरी प्रार्थना है कि क्रैडिट पालिसी बदलनी चाहिए।

इसी हाउस में हमने दो घंटे तक चर्चा की थी। इतिहास में पहली बार हमारे किसान भाइयों ने आत्महत्या की थी। यह अखबार की खबर नहीं थी। तीन प्रदेश सरकारों ने स्वयं माना था कि किसानों ने आत्महत्या की चाहे वह आन्ध्रप्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, सब ने माना था। आंकड़े में कमी रह गई है। कोई कहता है कि इतनों ने आत्महत्या की लेकिन यह बात सच है कि आजादी के बाद पहली बार इतिहास में किसानों ने आत्महत्या की। हमने यहां खुल कर बात की थी कि यह देश के लिए अच्छा सूचक नहीं है। हमारी नीतियों में कहीं खामियां हैं या कार्यान्वित करने में कहीं खामियां हैं। पंजाब जैसा प्रदेश जिस ने अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मदद की, पंजाब का किसान जो कभी दुखी नजर नहीं आ सकता, वह दुखी होकर भी हंसता रहता है, वहां के किसानों ने भी आत्महत्या की। क्यों की? क्योंकि नीतियां उसके लाभ की नहीं थीं। १५ हजार रुपए जिस ने उधार लिए, उसकी फसल खराब हो गई, वह उसे दे नहीं पाया। यह भी सच्चाई है कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति बैंक का पैसा न दे तो टेलीफोन से बात हो जाती है कि मेरे पास छः महीने तक कोई पैसा नहीं है, लेकिन अगर किसान पैसा न दे तो ये लोग गांव में पहुंच जाते हैं और तीन हजार रुपए के ऊपर भी उसकी भैंस ले लेते हैं। वह उस दिन उसके यहां जाते हैं, जिस दिन उसके खास रिश्तेदार बैठे हों जिससे उसकी बेइज्जती भी हो जाए और वह कहीं न कहीं से पूरा पैसा दे सके।

सभापति महोदय : पायलट जी, २० मिनट हो गये हैं, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राजेश पायलट : मैडम, मैं अपने पाइंट पर आ रहा हूं। क्रेडिट पालिसी में कुछ बदलाव आना चाहिये जैसा इंडस्ट्रियल सैक्टर में है, यह मैं नीतीश जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर देश में एग्रो बेस्ड रूरल इकानिमी को बेस बनाना है तो बैंक लिमिट हमें भी इंडस्ट्रियल सैक्टर की तरह मिलनी चाहिये जिससे किसानों में विश्वास होगा। इससे बेरोज़गारी कम होगी और गांवों तथा किसानों का विकास अपने आप होता रहेगा।

दूसरी बात सबसिडी के बारे में कही गई है। किसानों के लिये सबसिडी जुर्म है कि सबसिडी का नाम आते ही कि इतने हजार करोड़ सबसिडी दे रहे हैं। यहां पर यह बहस

हुई थी। आज विकासशील देश किसानों को सबसिडी दे रहे हैं लेकिन यहां किसानों को सबसिडी मिलने पर बहस होने लगती है कि यदि सबसिडी दी जायेगी तो देश पीछे चला जायेगा। यदि किसान का २००० रुपया मर जाये तो सबसिडी में गिना जायेगा लेकिन इंडसट्रियल सैक्टर्स का ५००-५०० करोड़ रुपया रह जाये तो वे टेलीफोन पर कह देते हैं कि अभी तक हिसाब चल रहा है, दे नहीं सकते। जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तो मैंने कई शिपिंग कम्पनियों को देखा कि २-२ सौ करोड़ रुपया सरकार का लिये बैठे हैं, लेकिन उनसे पूछने का कोई सवाल नहीं है। किसान के लिये कुछ नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं कि देश में सबसिडी जारी रहनी चाहिये और किसानों के लिये सबसिडी और बढ़नी चाहिये। इसका एक इनडायरेक्ट फायदा है क्योंकि देश को इससे लाभ मिल रहा है और देश में आत्मबल की शक्ति आ रही है। आज हम अनाज के बारे में देख रहे हैं। यह दूसरी बात है कि किन्हीं कारणों से मंगाया गया या कम मंगाया गया। आप किसानों के लिये सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के लिये फारमूला बनाते हैं। एफ.सी.आई. में हैंडलिंग चार्जेस २०० रुपये क्विंटल हैं या १५० रुपये टन है, इसके अलावा वैस्टेज चार्जेस हैं। यदि गोदाम में १००० टन गेहूं पड़ा है तो सालभर में वह वैस्टेज में लग जायेगा लेकिन किसानों के लिये ५ रुपये बढ़ाने में नीतीश जी लगे रहेंगे और फिर अंदर से कहा जायेगा कि कॉमन मैन पर फर्क पड़ेगा। अगर एफ.सी.आई. के हैंडलिंग चार्जेस बढ़ा दिया जायें या किसानों के लिये सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी जाये तो मुझे खुशी होगी। आपने अनांउस किया है कि आपने गोदाम की स्कीम दी है कि किसानों को इतने परसेंट फैसिलिटीज देंगे लेकिन उसका प्रचार ठीक से नहीं हुआ और गांवों में प्रचार नहीं किया गया। यदि गोदाम सब्जियों के लिये, गेहूं या कोल्ड स्टोरेज में मदद कर दें तो किसान कोआप्रेटिव बनाकर उससे फायदा उठा सकते हैं।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी इस बात को मत उठाइये, समय कम है, इनको जल्दी खत्म कर दीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, यह बेचारे बहुत महत्वपूर्ण भाषण कर रहे हैं, इनको खत्म करने दीजिये। अच्छा भाषण दे रहे हैं लेकिन गलत जगह पर बैठे हुये हैं, इसलिये कुछ नहीं कर पायेंगे।

श्री राजेश पायलट : सही बात है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर सही है तो नीयत और नीति नहीं है, नेता भी होना चाहिये। अगर नीति, नीयत और नेता तीनों होंगे, तब किसान का भला हो सकता है...

श्री राजेश पायलट : बिलकुल ठीक है।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : सभापति महोदय, श्री मुलायम सिंह जी ने बेचारा शब्द पायलट जी के लिये कहा है, यह शब्द इस्तेमाल न करें।

श्री राजेश पायलट : कोई बात नहीं, ये हमारे बड़े भाई हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : बेचारे नहीं होते तो उधर नहीं बैठते, यहां बैठते।

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, मेरा तीसरा पाइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यह जलता हुआ प्रश्न है। जब किसानों की जमीन एक्वायर की जाती है तो थ्रो-अवे प्राइसेज पर की जाती है। वह जमीन २० रुपये गज पर ली जाती है और २ हजार रुपये गज के हिसाब से आगे बेची जाती है। जब कभी मजबूरी में किसान अपनी जमीन बेचता है और सालभर के बाद उसे जरूरत हो तो वह २ हजार रुपये गज में खरीदता है क्योंकि डेवलेपमेंट अथारिटी को उसे खर्चा देना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि डेवलेपमेंट चार्जेस काटकर उसे जमीन दी जाये। रक्षा या अस्पताल के लिये जमीन एक्वायर की जाये तो कोई बात नहीं लेकिन किसान को बाजार भाव पर डेवलेपमेंट चार्जेस काटकर दी जाये। जिस दिन किसान रजिस्ट्री करके घर आता है तो कोई खुशी नहीं होती है। पैसा जरूर आता है लेकिन पीढ़ियों की सम्पत्ति चली जाती है। मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसा बिल लाये कि यदि किसान की जमीन एक्वायर होती है तो डेवलेपमेंट चार्जेस काटकर उन्हें बाजार भाव पर दी जाये। आखिर में मैं महसूस करता हूं कि जब तक किसानों के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे पढ़-लिखकर उस कुर्सी तक न पहुंच जायें जिन कुर्सियों पर नीतियों को लागू करते हैं, हमारे गांव का विकास नहीं होगा। उन्हें पता होगा कि खोब चुभने से क्या दर्द होता है?

उन्हें पता होगा कि कार्तिक के महीने में पानी में नहाने से क्या सर्दी लगती है। लेकिन जिसे पता नहीं कि जेठ में गर्मी है, कार्तिक में सर्दी है, उसे क्या पता होगा कि किसान की क्या तकलीफें है। मुझे उम्मीद है कि आप इन जज्बातों को दिमाग में रखेंगे पॉलिसी बनाते वक्त और नीतीश जी से मुझे ज्यादा उम्मीद है। इन्हीं लफ्जों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में, किसानों की आज जो दुर्गति हो रही है, उसमें आप सहारा देंगे तथा किसान को और ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद।

">

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदया, आज इस सदन में किसानों के संबंध में चर्चा की जा रही है और सचमुच यह एक गंभीर विषय है। चर्चाएं तो इस सदन में बहुत पहले से होती रही हैं लेकिन किसानों के हित में क्या हुआ या नहीं हुआ, उसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कितने मंत्री उपस्थित हैं। मैं आसन से निवेदन करूंगा कि जब किसानों और गांवों की समस्याओं पर चर्चा हो तो चूंकि किसानो की समस्या एक ही विभाग से जुड़ी हुई नहीं है, मात्र वह कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ मसला नहीं होता है, इसलिए मंत्रिमंडल के उन सभी मंत्रियों को उस समय यहां उपस्थित होना चाहिए जो लोग किसानों की समस्या से जुड़े हैं। यहां सरकार के लोग बैठे हुए हैं। इतने बड़े मसले पर यहां चर्चा हो रही है और बिजली मंत्री अनुपस्थित हैं जबकि बिजली एक महत्वपूर्ण समस्या है किसानों के हित में। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि आसन से निर्देश दिया जाए कि जब किसानों के संबंध में यहां चर्चा हो तो जितने संबंधित विभागों के मंत्री हों, वे सदन में उपस्थित रहें।

">

">सभापति महोदया, हम कहना चाहते हैं कि राजेश पायलट जी और राम नगीना मिश्र जी ने बहुत विस्तृत रूप में किसानों के हित में चर्चा की है। इस देश में जितने भी प्रदेश हैं, अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग तरह की फसलें होती हैं। अलग-अलग फसल होने के कारण, अलग-अलग प्रदेशों के किसानों की अलग-अलग तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर, जैसे एक माननीय सदस्य ने केरल में नारियल की खेती के संबंध में चर्चा की थी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की अलग समस्या है, बिहार की अलग समस्या है। फसल भी विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग प्रकार की होती हैं। हम कहना चाहते हैं कि यह पूरे देश की समस्या है और आज जब हम किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ चर्चा तक यह बात सीमित न हो। चर्चा के बाद कुछ सोच-विचार करके हम ठोस कार्रवाई करें, तभी किसानों के हित में बात होगी।

">

">आज किसानों की स्थिति बहुत खराब है। सभी लोग कहते हैं कि ७० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। राजेश पायलट जी ने ध्यान दिलाया कि नेहरू जी ने कहा था कि गांवों में देश का हृदय रहता है लेकिन हृदय रहने के बावजूद आज देश में क्या हो रहा है। किसानों के साथ कभी भी इंसाफ नहीं होता है। भाषण में चिन्ता जताई जाती है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जैसा राजेश जी ने कहा था और हम उनकी बात से सहमत हैं कि सरकार को किसानों की समस्या की जानकारी ही नहीं हो पाती है। जो लोग किसानों के भाग्य का फैसला करते हैं, वे किसानों की समस्या की जानकारी नहीं ले पाते हैं। हम बताना चाहते हैं कि आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या बिजली और पानी की बनी हुई है। एक तरफ दिल्ली जैसे शहर हैं, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में बिजली की चकाचौंध हो रही है और दूसरी तरफ गांवों में चलकर देखा जाए तो न झोंपड़ियों में जलाने के लिए डिबिया बत्ती मिलेगी और न ही खेतों में पानी देने के लिए बिजली की व्यवस्था है। हम नहीं कहते हैं कि शहरों की चकाचौंध समाप्त कर दी जाए लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप शहरों में चकाचौंध की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी तरह गांवों के किसानों की खेती लहलहाने के लिए, किसानों की जिन्दगी को खुशहाल बनाने के लिए गांवों में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान खुशहाल हो सके। यहां पानी की भी व्यवस्था होती है। बड़े-बड़े शहरों में सड़कों पर गोलचक्कर बनाए जाते हैं जहां पानी के फव्वारे उड़ाए जाते हैं जबकि गांवों में किसानों की फसल पानी के अभाव में सूख जाती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि गांवों में किसानों को बिजली और पानी की सुविधा मुहैया कराना अत्यावश्यक है। इन बिन्दुओं पर सरकार को गंभीरता से चिन्तन करना चाहिए।

">

"ऽहम खासकर बिहार की समस्या का ज़िक्र करना चाहते हैं। बिहार के किसानों की स्थिति और भी दयनीय है। इसका खास कारण है कि उत्तर बिहार और मध्य बिहार की ज़मीन बहुत उर्वरा है परंतु वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अगर वहां सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो आधे भारत का भोजन छः महीने तक उत्तर बिहार चला सकता है।

">

"ऽपाते हैं। हम बताना चाहते हैं कि आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समस्या बिजली और पानी की बनी हुई है। एक तरफ दिल्ली जैसे शहर हैं, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में बिजली की चकाचौंध हो रही है और दूसरी तरफ गांवों में चलकर देखा जाए तो न झोंपड़ियों में जलाने के लिए डिबिया बत्ती मिलेगी और न ही खेतों में पानी देने के लिए बिजली की व्यवस्था है। हम नहीं कहते हैं कि शहरों की चकाचौंध समाप्त कर दी जाए लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप शहरों में चकाचौंध की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी तरह गांवों के किसानों की खेती लहलहाने के लिए, किसानों की जिन्दगी को खुशहाल बनाने के लिए गांवों में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसान खुशहाल हो सके। यहां पानी की भी व्यवस्था होती है। बड़े-बड़े शहरों में सड़कों पर गोलचक्कर बनाए जाते हैं जहां पानी के फव्वारे उड़ाए जाते हैं जबकि गांवों में किसानों की फसल पानी के अभाव में सूख जाती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि गांवों में किसानों को बिजली और पानी की सुविधा मुहैया कराना अत्यावश्यक है। इन बिन्दुओं पर सरकार को गंभीरता से चिन्तन करना चाहिए।

">

">

"ऽहम खासकर बिहार की समस्या का ज़िक्र करना चाहते हैं। बिहार के किसानों की स्थिति और भी दयनीय है। इसका खास कारण है कि उत्तर बिहार और मध्य बिहार की ज़मीन बहुत उर्वरा है परंतु वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अगर वहां सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो आधे भारत का भोजन छः महीने तक उत्तर बिहार चला सकता है

">

">
17.00 hrs.

लेकिन कभी वह बाढ़ की समस्या से पीड़ित होता है, कभी सुखाड़ की समस्या से पीड़ित होता है, कभी जल जमाव की समस्या से पीड़ित होता है। इन समस्याओं के कारण उत्तर बिहार की धरती उर्वरा होने के बावजूद उचित फसल नहीं दे पाती। जिससे किसान त्राहि-त्राहि कर उठता है। कुछ सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार के किसान खुशहाल नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि बहुत पहले राज्य सरकार ने गंडक नहर योजना की पूरे बिहार में शुरूआत की थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। गंडक नहर के बांध बनाये गये। उसमें किसानों की जमीनें ले ली गईं। लेकिन उस नहर से किसानों को सिंचाई के लिए जितना पानी मिलना चाहिए था, वह बिहार में किसानों को नहीं मिलता है, जिसके कारण किसानों का दोहरा दोहन हो रहा है। उनकी जमीनें ले ली गई, उन्हें पानी नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी नहर की जमीन हैं जिसका किसानों को

मुआवजा नहीं मिला और इतना ही नहीं कभी-कभी जब पानी धोखे या संयोग से आ जाता है, चूंकि बांध सुरक्षित नहीं होते, उसके कारण किसानों की फसल डूब जाती है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति में किसानों का दोहरा शोषण होता है।

१७.०१ बजे (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसलिए अध्यक्ष महोदय हम कहना चाहते हैं कि बिहार के किसानों की सुविधा के लिए सबसे पहले उन्हें बाढ़ से बचाने के उपाय किये जाने चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूं जिसका प्रधान मंत्री जी उत्तर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं

... (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, you can continue tomorrow.

... (Interruptions)

________ <